

29/8/24 पत्रावली पेशा हुई प्राथीगण मय अधिकारिता  
उपस्थित नहीं। वकील अधीन उपर प्राथीगण का  
का मूलवाद अधीनकारी में जारी होने से  
प्राथीगण 22RTA वाद के स्भाव में चलने  
शक्य नहीं होने से प्राथीगण जारी  
किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी  
मांडल जिला भीलवाड़ा